

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक : प-12 (38) चि-5/94-पार्ट-III

जयपुर, दिनांक

17 JAN 2002

अधिसूचना :

प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इस विभाग द्वारा जिले के क्षेत्र के लिये सलाहकार समिति का गठन करने हेतु पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-6-2001 की निरन्तरता में, विभिन्न जिलों हेतु उक्त समिति में अनुवंशिकी विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा विधि विशेषज्ञ का निम्नानुसार मनोनयन करती है ; अर्थात :-

क्र. स.	नाम जिला	अनुवंशिकी विज्ञानी	तीन सामाजिक कार्यकर्ता	विधि विशेषज्ञ
01	बीकानेर	डा. सुनीता चट्टा, पैथोलोजिस्ट, मेडिकल कालेज, बीकानेर	1 श्री शुभू पटवा, आकाशवाणी पत्रकार, गंगाशहर, बीकानेर 2 श्री अरविन्द ओझा, सचिव, बज्जू एवं उरमूल सीमान्त, बीकानेर 3 श्रीमती अल्का डोली पाठक, प्रधानाध्यापिका, दयानन्द पब्लिक स्कूल, बीकानेर	श्री बृजरतन व्यास, लोक अभियोजक, बीकानेर
02	कोटा	डा. ए.पी. सिंह, सहायक आर्चाय, एनाटोमी विभाग, मेडिकल कॉलेज, कोटा	1 श्री महावीर चन्द्र भण्डारी, छौवली चौराहा, कोटा 2 श्री रिछपाल पारीक, नयापुरा, कोटा 3 डा. (श्रीमती) सी.पी. शर्मा, मारुति कालोनी, बृज टॉकीज के पास, कोटा	श्री हरेन्द्र शर्मा, उपनिदेशक, लोक अभियोजन, कोटा
03	बून्दी	डा. सी.पी. जोशी कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी) जनरल हॉस्पिटल, बून्दी	1 श्री गहेश पाटोदी, रोटैरियन, गुरुनानक कॉलोनी, बून्दी 2 श्री शिवप्रसाद भीणा, खोजागेट, बून्दी 3 श्रीमती मन्जू शर्मा, महिला प्रगतिशील संगठन, बून्दी	श्री राम आर्य, सहायक लोक अभियोजक- प्रथम श्रेणी, बून्दी
04	उदयपुर	डा. ललित जैन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटोमी विभाग, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1 डा. शरद अयंगर, सचिव, अर्थ समिति, उदयपुर 2 श्री गणेश डागलिया, सचिव, महावीर इन्टरनेशनल, उदयपुर 3 सुश्री प्रमोदनी बक्षी, एडवोकेट, उदयपुर	श्री चादमल सांखला, लोक अभियोजक, उदयपुर
05	अलवर	डा. वी.के. व्यास, पैथोलोजिस्ट, जनरल हॉस्पिटल, अलवर	1 श्री राजकुमार भुतोडिया, अध्यक्ष, रोटरी क्लब, 9-ए, फैंड्स कालोनी, अलवर 2 श्री प्रेमसिंह मेहता, सचिव, महावीर इन्टरनेशनल, 81, संजय कालोनी, एस एम डी स्कूल के पास, अलवर 3 श्रीमती शकुन्तला गुहा, अध्यक्ष, इनरहील क्लब, 48-ए, लाजपत नगर, अलवर	श्री जयनारायण गुप्ता, लोक अभियोजक, अलवर

06	झुंझुनु	डा. मानसिंह भण्डारी कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी), जनरल हॉस्पिटल, सीकर	1 श्री गोलूराम मोदी, ओम प्रिन्टर्स, नेहरू बाजार, झुंझुनु 2 श्री एस.डी. पौदार, फुटला बाजार, झुंझुनु 3 श्रीमती साहिब कौर, अध्यक्ष, माण्डला पर्यावरण सुधार समिति, बड़ा मौहल्ला, सिंघाना	श्री रामवतार सोनी, लोक अभियोजक, झुंझुनु
07	जयपुर	डा. अल्का राय आचार्य, माईक्रोबायलोजी विभाग, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर	1 डा. कमल जैन, टी.के. अस्पताल, मोती डूंगरी रोड, जयपुर 2 श्री पवन कुमार जैन, गोकुलबस्ती, दुर्गापुरा, जयपुर 3 रजनी त्यागी, उपाध्यक्ष, शहर जिला कांग्रेस कमेटी, बडौदिया बस्ती, सैन कालोनी, जयपुर	श्री राजेश राज कुमावत, राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर
08	बांरा	डा. राजमल चित्तौड़ा, पैथोलोजिस्ट, राजकीय चिकित्सालय, बांरा	1 डा. सुरेश टक्कर, अध्यक्ष, रोटरी क्लब, बांरा 2 डा. लाजपत राय टक्कर, प्रताप चौक, बांरा 3 श्रीमती चित्रा जैन, प्रिंसिपल, टिनी टायज स्कूल, बांरा	श्री महेश प्रकाश त्यागी, लोक अभियोजक, बांरा
09	भरतपुर	डा. (श्रीमती) प्रतिमा शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी), राजकीय चिकित्सालय, भरतपुर	1 श्री सीताराम गुप्ता, अध्यक्ष, ल्यूमिन, कृष्णा नगर, भरतपुर 2 श्री गोविन्द शर्मा, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी 3 श्रीमती शाह, केयर इन्टरनेशनल, सारस चौराहा, भरतपुर	श्री सुरेश पाण्डेय, ए.पी.पी., भरतपुर
10	श्री गंगानगर	डा. सुनीता सरदाना कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी), जनरल हॉस्पिटल, श्री गंगानगर	1 डा. श्री भगवान, श्री गंगानगर 2 श्री केवल गर्ग, केसरीसिंहपुरा 3 श्रीमती मनिन्द्र कौर नन्दा, जसवन्त कॉलोनी, श्री गंगानगर	श्री प्यारेलाल शर्मा, सहायक लोक अभियोजक- प्रथम, श्री गंगानगर
11	जैसलमेर	डा. सी.पी. गुप्ता, कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी), सैटेलाईट हास्पिटल, मण्डौर (जोधपुर)	1 श्री एल. एन. गेहता, एडवोकेट एवं सचिव, रेड क्रॉस सोसायटी, जैसलमेर 2 श्री महेन्द्र व्यास, महेन्द्र गैस एजेन्सीज, हनुमान चौराहा, जैसलमेर 3 श्रीमती रामेश्वरी पुरोहित, चैनपुरा, जैसलमेर	श्री जालम सिंह सोडा, लोक अभियोजक, जैसलमेर
12	सिरोही	डा. विजय कुमार पुरोहित कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी), जनरल हॉस्पिटल, सिरोही	1 श्री सोहन लाल पटनी, शान्ती नगर, सिरोही 2 श्री विनोद हरण, विनोद एन्टरप्राइजेज, सदर बाजार, सिरोही 3 श्रीमती संध्या चौधरी द्वारा डा. ए.आर. तलवी, अपोजिट पिण्ड वाडा हास्पिटल, सिरोही	श्री किशन सिंह देवडा, लोक अभियोजक, सिरोही

13	बाडमेर	डा० सो०पी० गुप्ता वनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी), सेटेलाईट हॉस्पिटल, मण्डौर (जोधपुर)	1 श्री शंकर लाल, रिकानिक्वित्त सयुक्त निदेशक चिकित्सा, राय कालोनी, आयकर आफिस के पारस, बाडमेर 2 श्री धनराज जोशी, एडवोकेट एवं अध्यक्ष, कॉम्पो एकतः कमेटी, बाडमेर 3 श्रीमती शांति मंगल, अध्यक्ष, महिला जागृति परिषद, बाडमेर	श्री मंगीलाल पटवा, ए०पी०पी०, बाडमेर
14	हनुमानगढ़	डा० एस०एस० चौहान कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी), जनरल हॉस्पिटल, हनुमानगढ़	1 श्री भगवान दास स्वामी, एडवोकेट, वार्ड नम्बर 17, हनुमानगढ़ टाउन (हनुमानगढ़) 2 श्री सन्तलाल मोदी, कार्यवाहक अध्यक्ष, श्री गौशाला, नौहर, (हनुमानगढ़) 3 श्रीमती रेणु सौथी, कुमार ट्रेडर्स, 20, नई धान मण्डी, हनुमानगढ़ टाउन	श्री मुरलीधर उपाध्याय, सहायक निदेशक (अभियोजन), हनुमानगढ़
15	राजसमंद	डा० अर्जुन जैन कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी), जनरल हॉस्पिटल, राजसमंद	1 श्री मांगीलाल राठी, महावीर इन्टरनेशनल, ब्रजपुरा, नाथद्वारा 2 डा०(श्रीमती) किर्ती अयंगर, संचालिका, अर्थ संस्थान, कुर्चीली, प०सं० कुम्भलगढ़ जिला राजसमंद 3 श्रीमती शकुन्तला पामेचा, आस्था संस्थान, नई ३ बादी, आसोटीया, कांकरोली (राजसमंद)	श्री सुजान सिंह चौधरी, ए०पी०पी०, राजसमंद

उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष का रहेगा।

आज्ञा से

(जी०एल० वामी)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, मा० मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, राज्य मंत्री, चिकित्सा, स्वा० एवं प०क०, राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वा० एवं प०क० विभाग, राज० जयपुर।
- 5- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा, स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
- 6- सम्बन्धित जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- 7- अनुभागाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
- 8- सहायक आयुक्त (पॉलिसी) स्वास्थ्य एवं प०क० मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 9- निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 10- निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 11- निदेशक (10क०)/(जन स्वास्थ्य)/(आई०ई०सी०)/(एड्स) मु०।
- 12- सम्बन्धित प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, राजस्थान।
- 13- विशेषाधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर।
- 14- सम्बन्धित सयुक्त निदेशक (जन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोयायें, राजस्थान।
- 15- सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी, राजस्थान।

- 16- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 17- सम्बन्धित सदस्य द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 18- सम्बन्धित उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)/उपखण्ड, राजस्थान।
- 19- सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 20- सम्बन्धित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 21- सम्बन्धित जिला सूचना एवं प्रसार अधिकारी, राजस्थान।
- 22- अधीक्षक, राजाकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि कृपया इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का श्रम करें।
- 23- रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव